न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः- 534/2025

नसीब उल्ला पुत्र श्री सुभान खान जाति मुसलमान निवासी वार्ड 10, चक 05 एल. के., लखुवाली हैड तहसील व जिला हनुमानगढ

-:वादी

बनाम्

1 सुभान खान पुत्र श्री कुतुबदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड 10, चक 05 एल. के., लखुवाली हैड तहसील व जिला हनुमानगढ़
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़
3 हजुरा बीबी पुत्री सुभान पत्नी रजाक खान निवासी चक 5 एलके लखुवाली हैड तहसील व जिला हनुमानगढ
4 लाडिया बीबी पुत्री सुभान पत्नी कबूल शाह निवासी चक 5 एलके लखुवाली हैड तहसील व जिला हनुमानगढ
5 मुनताजा बीबी पुत्री सुभान पत्नी शमदाद निवासी चक 5 एलके लखुवाली हैड तहसील व जिला हनुमानगढ
6 खजीदा बीबी पुत्री सुभान पत्नी मोहम्मद सलीम निवासी चक 5 एलके लखुवाली हैड तहसील व जिला हनुमानगढ

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री रामकुमार बिश्नोई - अधिवक्ता वादी
2. श्री अनिल कुमार बिश्नोई - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
3. प्रतिवादी सं. 3 ता 6 - स्वयं इकबालदावा
4. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 2

-:निर्णयः-

दिनांक 18.12.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी के पिता प्रतिवादी के पास अन्य भूमि के अलावा वाके चक 13 आर.पी. खाता नं. 82/71 की 1.005 हैक्टयर व चक 01 के. डबलू. डी. खाता नं. 26/25 में हिस्सा 0.266 हैक्टयर व इसी चक के खाता नं. 25/31 में हिस्सा 0.253 हैक्टयर व चक 03 एल.के. खाता नं. 72/30 की 2.435 हैक्टयर कुल 3.959 हैक्टयर नहरी भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। नकल जमाबंदी चक 13 आर. पी. खाता नं. 82/71 सम्वत 2077 से 2080 व चक 01 के. डबलू. डी. खाता नं. 26/25 व खाता नं. 25/31 की 0.253 हैक्टयर सम्वत 2076 से 2079 व चक 03 एल.के. खाता नं. 72/30 सम्वत 2075 से 2078 हमराह पेश है।

यह कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से विरासतन प्राप्त खातेदारी भूमि हैं। जो प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज हैं। मुझ वादी के पिता को उक्त वर्णित भूमि में विरासतन प्राप्त भूमि हैं। इस भूमि में वादी का जन्म से ही मुसलीम विधि से अधिकार निहित हैं। अनुसार वादी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिए वादी अपनी खातेदारी कृषि भूमि चक 3 आर. पी. खाता नं. 82/71 कुल भूमि 1.005 हैक्टयर व चक 01 के.डबलू.डी. खाता नं. 26/25

6 हैक्टयर व चक 01 के.डबलू.डी. खाता नं. 25/31 में 0.253 हैक्टयर व 03 एल.के. 72/30 में कुल भूमि 2.435 हैक्टयर कुल हकुक 3.959 हैंक्टयर भूमि की घोषणा प्राप्त अधिकारी हैं। व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से चक 03 के.डबलू.एम. में 2.695 हैक्टयर तेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि वादी ने प्रतिवादी से कई दफा निवेदन किया कि वे अर्जीदावा की दफा 3 में दर्ज से वादी का हक व हिस्सा मानकर घोषणा वादी के नाम करवा देवें तो पहले तो वे टालमटोल हे ओर सात रोज पूर्व गांव लखुवाली में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही वाद हैं। आदि आदि कथन कर इस्तदुआ चाही कि घोषणा फरमाई जावे कि वादीगण अर्जीदावा की में दर्ज कृषि भूमि में अपने 3.959 हैक्टयर भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया प्रतिवादी नं. 1 कलमजन किया जावें।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार बिश्नोई उपस्थित व प्रतिवादी सं. 3 ता 6 स्वयं इकबाल पेश कर दावा डिक्री किये जाने में सहमति पेश की है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दावा में इकबाल पेश कर मुताबिक वाद के दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वाद पत्र कोई विरोध होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस यपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति के दावा डिक्री किए जाने का दन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया ा उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है किः- प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 13 आर. पी. खाता नं. 82/71 कुल भूमि 1.005 हैक्टयर व चक 01 के.डबलू.डी. खाता 26/25 में 0.266 हैक्टयर व चक 01 के.डबलू.डी. खाता नं. 25/31 में 0.253 हैक्टयर व एल.के. खाता नं. 72/30 में दर्ज 2.435 हैक्टयर महायोग 3.959 हैंक्टयर का वादी को तेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया ता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै. /गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन रेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा र्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

ट- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ